बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

संं०सं०– निग/सारा (उ0बि0ग्रा0)–आरोप–01/2020 पटना, दिनांक :– 9.4.26

कार्यालय आदेश – 89

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बगहा–02 के अधीन PMGSY योजना संख्या–BR/037/067 मलाही टोला से भुईधरवा पथ निर्माण कार्य में हुई अनियमितता की जाँच NIT, Patna से कराने के उपरांत प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर श्री अजय कुमार तिवारी, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल–02, बगहा सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध आरोप पत्र गठित करते हुए ग्रामीण कार्य विभाग के पत्रांक–988, दिनांक–28.05.2020 के द्वारा आवश्यक कार्रवाई हेतु इस विभाग को उपलब्ध कराया गया। उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर श्री तिवारी के विरूद्ध विभाग स्तर से आरोप पत्र गठित करते हुए कार्यालय आदेश संख्या–15 सहपठित ज्ञापांक–410 (ई) अनु० दिनांक–23.01.2024 के द्वारा उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की गयी। संचालित अनुशासनिक कार्यवाही में श्री तिवारी के विरूद्ध गठित आरोप निम्नवत है :–

(i) मलाही टोला से भुई धरवा पथ का NIT Patna द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन तद्नुसार पथ के Chainage 2085 मी० एवं 3300मी० पर Subgrade मुटाई क्रमशः 60mm एवं 150mm पायी गयी जो प्रावधानित मुटाई 300mm से बहुत कम पाया गया। उक्त Chainage पर पाई गई thickness में कमी के समतुल्य प्रावधानित दर से (कि०मी० 3 एवं 4 का) आकलित कुल राशि 292307.00 रुपये का बिना कार्य कराये संवेदक को अधिक भुगतान कर लाभ पहुँचाया गया जो वित्तीय अनियमितता का द्योतक है।

(ii) Gr-II के Sieve analysis में metal undersize पाया गया। Ch. 3000मी० में 63mm sieve पर 5% का अन्तर Ch. 2085मी० में sieve 45mm पर क्रमशः 45% एवं 63% का अन्तर तथा Sieve 22.4mm पर 15% एवं 33% का अन्तर WBM Gr-II को संतुष्ट नहीं करता है।

2. संचालित अनुशासनिक कार्यवाही में अधीक्षण अभियंता–सह–संचालन पदाधिकारी (नाबार्ड, बाह्य सम्पोषित, N.H, ROB), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–4984 (ई) अनु0 दिनांक–07.10.2024 के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में उनके विरूद्ध गठित दोनों आरोपों को प्रमाणित होने का निष्कर्ष दिया गया। उक्त प्रवितेदन की विभागीय स्तर पर समीक्षोपरांत श्री तिवारी से विभागीय पत्रांक–567 (ई) अनु0 दिनांक–23.01.2025 के द्वारा लिखित अभ्यावेदन/निवेदन की माँग की गयी। उक्त के आलोक में उनके द्वारा समर्पित अभ्यावेदन दिनांक–11.02.2025 की विभागीय तकनीकी समिति से समीक्षा करायी गयी। समीक्षोपरांत विभागीय तकनीकी समिति के द्वारा निम्नांकित अनुशंसा की गयी :–

(1) (i) श्री तिवारी के विरूद्ध संचालित अनुशासनिक कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप प्रमाणित होने का निष्कर्ष दिया गया है।

(ii) आलोच्य पथ के निर्माण हेतु एकरारनामा की तिथि 25.01.2010 है। आलोच्य पथ के Chainage 2085 मीटर एवं Chainage 3300 मीटर पर Subgrade की प्रावधानित मुटाई 300mm के विरुद्ध क्रमशः 60mm एवं 155mm प्रतिवेदित है।

(iii) उपर्युक्त आलोक में समिति मंत्रिमंडल निगरानी विभाग, तकनीकी परीक्षक कोषांग के कार्यालय आदेश संख्या–1389 दिनांक 16.09.1994 एवं NIT, Patna द्वारा Subgrade की मुटाई निकालने की पद्धति में भिन्नता के संबंध में ग्रामीण कार्य विभाग से मन्तव्य प्राप्त कर निर्णय लेने की अनुशंसा करती है।

(iv) उल्लेखनीय है कि NIT, Patna द्वारा 3rd km (Chainage 2085 मीटर) एवं 4th km (Chainage 3300 जा मीटर) में एक ही बिन्दु पर Subgrade की मुटाई प्रतिवेदित की गयी है, जो मंत्रिमंडल निगरानी विभाग, तकनीकी परीक्षक कोषांग के कार्यालय आदेश संख्या–1389 दिनांक 16.09.1994 द्वारा निर्दिष्ट आदेश के अनुरूप नहीं है।

(2) WBM Grading 2 के कार्य में उपयोग के पूर्व Coarse Aggregate का Grading requirement MORTH के 4th Edition के Specifications के Table 400–7 में निर्दिष्ट है।

WBM Grading 2 के कार्य में Rolling के दौरान कुछ Coarse Aggregate के टूटने की संभावना है। इसके अतिरिक्त WBM कार्य में Screenings एवं Binding/Filler Materials का भी उपयोग होता है।

उपर्युक्त आलोक में WBM कार्य कराने के उपरान्त WBM Grading 2 Materials के Grading का Undersize में आने की संभावना है।

इस संबंध में समिति ग्रामीण कार्य विभाग से उनके विभाग में इस संबंध में Tolerance Limit के संबंध में मन्तव्य प्राप्त कर निर्णय लेने की अनुशंसा की गयी।

3. विभागीय तकनीकी समिति द्वारा की गयी उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक–4521 (ई) अनु0 दिनांक–14.07.2025 के द्वारा विभागीय तकनीकी समिति के उक्त अनुशंसा पर ग्रामीण कार्य विभाग का मंतव्य उपलब्ध कराने हेतु अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना से अनुरोध किया गया। उक्त के आलोक में स्मारोपरांत उनके पत्रांक–1446 अनु0 दिनांक–03.02.2026 के द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जो निम्नवत है :–

(1) विषयगत पथ की मोटाई की जाँच में NIT पटना द्वारा जो पद्धति अपनायी गयी है वह तकनीकी परीक्षक कोषांग, निगरानी विभाग के द्वारा परामर्शित और ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा अनुपालित से अलग है। दोनो पद्धति में मुख्य अंतर यह है कि NIT पटना द्वारा Subgrade की मोटाई निर्धारण हेतु पथ का Sample एक बिन्दु से लिया गया है। जबकि निर्धारित पद्धति यह है कि पथ की मोटाई निर्धारण हेतु नमुना तीन बिन्दुओं– प्रथम, मध्य और अंतिम सड़क के छोर से लिया जाता है और औसत मोटाई निकालकर सड़क की मुटाई तय की जाती है। यदि पथ की लम्बाई अधिक हो तो ज्यादा नमूना का परीक्षण किया जाता है।

(2) संबंधित पथ के WBM के Grade-II में विचलन IS Sieve 53 mm, 45 mm और 22.4 mm के संदर्भ में है, जो Tolerence Limit के स्वीकृत माप दंडो से ज्यादा है।

4. उक्त मामले के विभाग स्तर समीक्षोपरांत पाया गया कि यद्यपि आरोप सं0–(i) के संबंध में NIT पटना द्वारा आलोच्य योजना अन्तर्गत पथ की मोटाई की जाँच में अपनाई गई पद्धति निर्धारित पद्धति के अनुरूप नही थी, तथापि जाँच में पाई गई मुटाई प्रावधानित मुटाई से काफी कम पाई गई। जाँच में पथ की मुटाई प्रावधानित मुटाई से काफी कम पाया जाना आरोप को प्रमाणित करता है। इसके साथ हीं आरोप सं0–(ii)

के संबंध में ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा प्रतिवेदित है कि के WBM के Grade-II में विचलन Tolerence Limit के स्वीकृत माप दंडो से ज्यादा है। अर्थात जाँच में पायी गई मात्रा Tolerence Limit के अन्तर्गत नहीं है, जो आरोप को प्रमाणित करता है।

4. अतएव उपर्युक्त समीक्षा के आलोक में श्री अजय कुमार तिवारी, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल–02, बगहा सम्प्रति सेवानिवृत के द्वारा समर्पित लिखित अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए उनके विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43 (बी) के तहत निम्नांकित निर्णय लिया जाता है :–

(i) **उनके पेंशन से 05 (पाँच) प्रतिशत की कटौती दो वर्षों के लिए।**

उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(संजय कुमार सिन्हा)
अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग/सारा (उ0बि0ग्रा0)–आरोप–01/2020 **पटना, दिनांक :–**

प्रतिलिपि :– सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, पटना/विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, पटना/अभियंता प्रमुख (मु0), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव (प्र०को०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव (निगरानी), पथ निर्माण विभाग, पटना/सभी मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग, मगध पथ अंचल, गया/कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, औरंगाबाद/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल–2, बगहा/अवर सचिव (लेखा), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–1/2/3/6/13/14, एवं 30 (लेखा शाखा), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना, **श्री अजय कुमार तिवारी, सेवानिवृत कनीय अभियंता, ग्राम शिवोबहार, पोस्ट–दावत, थाना–सूर्यपुरा, जिला–रोहतास, पिन–802226** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग/सारा (उ0बि0ग्रा0)–आरोप–01/2020 **पटना, दिनांक :–**

प्रतिलिपि :– उप सचिव, प्रभारी प्रशाखा–03, पथ निर्माण विभाग, पटना को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग/सारा (उ0बि0ग्रा0)–आरोप–01/2020 2608(S) **पटना, दिनांक :–** 9/4/26

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय web-site पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

09.4.2026
अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

D/NIGRANI SECTION/SANJIV KUMAR/ADHISHUCHNA & KARYALAY ADESH